बिहार सरकार

<u>पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग</u>

पत्रांक–पि०व०/गैर यो०–45–03/2014–

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **अति पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए विभाग द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास गया के रंग–रोगन कार्य की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अधीक्षण अभियन्ता, भवन प्रमंडल गया से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार रू० 3.31 लाख (रू० तीन लाख एक्तीस हजार) मात्र की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

2. प्रस्तावित राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत मांग सं०–03 के तहत बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80 सामान्य–051 निर्माण–0118–पिछड़े वर्गो के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार कूट सं०–5301–मुख्य निर्माण कार्य विपत्र कोड–03–4059800510118 से राशि विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं०–2561 दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशो के आलोक में राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होगें, तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.10 के आलोक में निकासी की कार्रवाई करेंगे।

5. भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड के आलोक में किये गए कार्य की पूर्णता के पश्चात भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

6. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग होंगे। वे कार्य के समापन एवं व्यय की गयी राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारीं एवं कोषागार को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/गैर यो०–45–03/2014– 49 पटना, दिनांक– 13/10/17

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बजट शाखा/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त/ संबंधित उप निदेशक कल्याण/ संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित जिला के कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/प्रभारी, छात्रावास अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.10.17

सरकार के सचिव।